

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

हनुमान पुत्र केशा जाति रेगर निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

केलाश पुत्री केशा जाति रेगर निवासी ग्राम अराई जिला अजमेर व अन्य

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा- धारा 212 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 64/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/.....

वकील वादी:-श्री विजेन्द्रसिंह

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8-8-25	<p>यह वाद पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील प्रार्थी श्री विजेन्द्रसिंह अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 14.11.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">WJS उपखण्ड अधिकारी अराई</p> <p>14/11/25 पत्रावली दिनांक 14.11.25 पेश हो</p>	
10/11/25	<p>पत्रावली के द्वारा अज्ञात पत्रावली 200/ वकील प्रार्थी उम्मेद प्रमाणों को लागू करना नहीं चाहते हैं और वकील प्रार्थी की प्रार्थना पर उम्मेद प्रमाणों को भी लाने पर ब्यापारिक क्लिमा जाता है पत्रावली प्रेषण शुरू होना वकालत में है।</p> <p style="text-align: right;">WJS</p>	<p>वकील प्रार्थी के पत्र को लागू नहीं कराएँगे विजेन्द्रसिंह 25/11</p>